


II/बिग०/रीवा/भू-ख०/२०१८/०१९८२

न्यायालय श्रीमान राजस्व संपुडल ज्वालियर, बेव रीवा, म०५०



- 1- बिनोद कुमार दुबे तनय स्व० श्री रामाश्रय दुबे उम्र 54 वर्ष पेशा कृषि
- 2- रामजी दुबे तनय स्व० श्री रामाश्रय दुबे उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि
- 3- सुधीनन्द दुबे तनय स्व० श्री रामाश्रय दुबे उम्र 47 वर्ष पेशा कृषि
- 4- सुरेश दुबे तनय स्व० श्री रामाश्रय दुबे उम्र 42 वर्ष पेशा कृषि

चि० श्रीरामाकांत पटेल
रा. देवा. 24-3-18

सभी निवासी ग्राम बिबहार तहसील हुजूर जिला रीवा म०५०

— आवेदकगण

बनाम

करनकी आफ कर्ट
राजस्व संपुडल म० प्र० ज्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा- रा. सन म०५०

- 2- उमेश दुबे तनय स्व० बैजनाथ दुबे
- 3- गिरिजा प्रसाद दुबे तनय स्व० लक्ष्मण दुबे
- 4- दिनेश प्रसाद दुबे तनय स्व० लक्ष्मण दुबे
- 5- प्रभात दुबे तनय स्व० बृजभान दुबे
- 6- अशोक कुमार दुबे तनय स्व० मनकरन दुबे
- 7- रमेश कुमार दुबे तनय स्व० मनकरन दुबे
- 8- सुशील कुमार दुबे तनय स्व० जिरिये वारिसान
- 8-1- लक्ष्मी दुबे पत्नी स्व० सुशील कुमार दुबे
- 8-2- रत्न दुबे पुत्री स्व० सुशील कुमार दुबे
- 8-3- अंजु दुबे पुत्री स्व० सुशील कुमार दुबे
- 8-4- मुकेश दुबे तनय स्व० सुशील कुमार दुबे
- 8-5- अंजु दुबे पुत्री स्व० सुशील कुमार दुबे
- 8-6- पूमम दुबे पुत्री स्व० सुशील कुमार दुबे

कार

क्रमांक 8-4, 8-5, 8-6, जरिये बली सरपरस्त सां लक्ष्मी दुबे

9- संतोष कुमार दुबे तनय स्व० मनकरन दुबे

10- अवधेश कुमार दुबे तनय स्व० मनकरन दुबे

सभी निवासी ग्राम बिसार तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

--- अनावेदकगण

निगरानी बिस्व न्यायलय श्रीमान अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र०क्र०
781/अपील/17-18 आदेश दिनांक 7-2-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० ३० रा०
स० 1959ई०
=====

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है-

===


1:- आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार मण्डल बनकुइया तहसील हुजूर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि ख० क्र० 204, 205 रकबा 0-20 डि०, 0-15 डि० पुस्तैनी भूमि है और आवेदक का 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज होता था कम्प्यूटरीकृत खसरो की नकल प्राप्त होने पर आवेदक का नाम बतौर भूमिस्वामी 1/4 बिलोपित कर दिया गया है। अतः आवेदक का नाम कम्प्यूटरीकृत खसरा के पूर्व खसरो के आधार पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाये।

2:- उक्त आवेदन पत्र प्रकरण संजीव हुआ तथा अनावेदकगण द्वारा प्रारंभिक आपत्ति की गई कि आवेदन पत्र आधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्र के बाहर है। उक्त आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा इस आधार पर गुण दोष पर निराकरण किया गया कि आवेदक का खसरे से नाम हटाया जाय। अतः आवेदक का नाम कम्प्यूटरीकृत खसरा के पूर्व खसरो के आधार पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

51

II/निग0/रीवा/भू.रा./2018/01982

स्थान तथा दिनांक	विनोद कु0 विरुद्ध म0प्र0 शासन कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्तों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-2018	<p>आवेदक अभिभाषक श्री रमकांत पटेल ने उपस्थित होकर प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया। आवेदन अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p> (आर0 के मिश्रा) सदस्य</p>

